

प्रारूप-सोलह
(नियम 19(2) देखिए)
धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन नगर विकास योजना बनाने के
आशय की घोषणा की सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि, देवास विकास प्राधिकरण (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम) नगर विकास योजना क्रमांक TDS-02/2020 अर्थात् देवास नगर (क्षेत्र का विवरण जहाँ स्कीम प्रस्तावित है) बनाने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं :

सरल क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टर में
01	हीरालाल पिता मुन्नालाल देवास	देवास नगर	देवास सीनियर	411	1.132
02	कस्तूरी बाई विधवा मुन्नालाल सुरेश पिता लक्ष्मण दादी कस्तूरी बाई देवास		देवास सीनियर	412/1	0.672
03	महेश कुमार पिता मुन्नालाल देवास		देवास सीनियर	412/2/1	0.423
04	श्रीमती मीना पति हेमन्त वर्मा देवास		देवास सीनियर	412/2/2	0.005
05	कुवर जी पिता ऊंकार जी देवास		देवास सीनियर	422/1/13/1	2.140
06	बाबुलाल पिता ऊंकार जी,		देवास सीनियर	422/1/13/2	2.140
07	रामनारायण ऊंकार, बाबुलाल हेमराज पिता ऊंकार देवास			422/1/13/3	
08	बाबुलाल पिता ऊंकार जी देवास		देवास सीनियर	422/1/13/4	0.364
09	हेमराज पिता ऊंकार जी		देवास सीनियर	422/1/13/5	2.140
10	रामनारायण पिता ऊंकार जी		देवास सीनियर	422/1/13/6	2.023
11	नस्रुद्दीन पिता शेख छोटू देवास		देवास सीनियर	422/1/13/7	0.448
12	शमशुद्दीन पिता नस्रुद्दीन शेख		देवास सीनियर	422/1/13/8	0.477
13	अंजूम पति शमशुद्दीन		देवास सीनियर	422/1/13/9	0.027
14	श्रीमती अंजूम पति शमशुद्दीन		देवास सीनियर	421/7	0.035
15	शासकीय		देवास सीनियर	417 पेकी	1.410
16	शासकीय		देवास सीनियर	435 पेकी	0.256
17	शासकीय		देवास सीनियर	529 पेकी	0.300

कोई भी व्यक्ति इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, योजना में सम्मिलित किये गये क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं करेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
देवास विकास प्राधिकरण, देवास